पत्र-30 (49)

Form-I

(For linear projects)

Government of uttarakhand

Office of the District collector- Rudraprayag

No. 9A Dated 14.8.15

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of india's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that (2.06) hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ***Construction Division, P.W.D. Ukhimath Rudraprayag*** (name of user agency) for ***Construction of Banswara-kiroe-jalai-Gair-Kandara Motor Road.*** (purpose for diversion of forst land) in ***Rudraprayag - district falls within jurisdiction of jalai*** villages in ***Ukhimath tehsil***

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire (2.06) Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sahha(s) Sub-Division Level Commttee(s) and the District Level committee are enclosed as annexure 1and annexure 2.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Grama Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre-agricultural communities.

जिला अधिकारी

Encl As above. **Signature**

(Full name and official seal of the District collector)

(50)

प्रपत्र - 30.1

ANNEXURE.................

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langar I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 14/8/15 at time 2 Pm at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **2.06 hect** for Transfer of **Banswara-kiroe-jalai-Gair-Kandara Motor Road.** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated: 19/8/15

Raghav
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

(Dr. Raghav Langar)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नामः–जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्ड़ारा मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,- ऊखीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण- प्त्र

उपखण्ड़ स्तरीय समिति, - ऊखीमठ

उपखण्ड़ ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्ड़ारा मोटर मार्ग का निर्माण।** पंचायती वन भूमि 2.06 है. अर्थात कुल (2.06) है. वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय समिति, (तहसील -ऊखीमठ) की दिनांक 25/6/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता श्री उत्तमसिंह चौहान उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री उत्तमसिंह चौहान उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अध्यक्ष
2- श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग सदस्य
3- श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी अगस्त्यमुनि सदस्य/सचिव
4- श्री सुभाष चन्द्र बी.ड़ी.सी. क्षेत्र जलई - सुरसाल सदस्य
5- श्रीमती प्रमिला भण्डारी बी.ड़ी.सी. क्षेत्र कण्डारा सदस्य

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया **जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्ड़ारा मोटर मार्ग का निर्माण।** परियोजना हेतु (2.06) है. वन भूमि का लो.नि.वि के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संम्बन्धित ग्राम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

संम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्सम्बंधी नियम 2008 को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है अत प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति अनापत्ति जारी की जा चुकी है अत प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(सुभाष चन्द्र)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत जलई-सुरसाल
वि.खं.-अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)

प्रमिला देवी
(प्रमिला भण्डारी)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत-कण्डारा
वि.ख.अगस्त्यमुनि,जनपद रुद्रप्रयाग

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंण्ड़ - ऊखीमठ परिक्षेत्र के **जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा- किरोई-जलई-गैर-कण्ड़ारा मोटर मार्ग का निर्माण।** हेतु (2.06) है. वन पंचायती भूमि का लो.नि.वि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग

2. रेंज वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि

3. बी.ड़ी.सी. सदस्य---------------------------------------

प्रमिलादेवी
(प्रमिला भण्डारी)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत-कण्डारा
वि.खं.अगस्त्यमुनि,जनपद रूद्रप्रयाग

4. बी.ड़ी.सी. सदस्य---------------------------------------

(सुभाष चन्द्र)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत-जलई-सुरसाल
वि.खं.-अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)

25/6/15

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ
जनपद - रूद्रप्रयाग

प0- R-28/ST. विविध-/2015/ दि0 26.5-15

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ
जनपद - रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.3 (53)

परियोजना का नामः– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्ड़ारा मोटर मार्ग का निर्माण।

आमसभा का प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - जलई ,

तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रूद्रप्रयाग,

उत्तराखण्ड़ में **जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा- किरोई-जलई-गैर-कण्ड़ारा मोटर मार्ग का निर्माण।** हेतु पंचायती वन भूमि 2.06 है. अर्थात कुल 2.06 है. पंचायती वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष मे भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **जलई** द्वारा दिनांक 21-11-14 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लो.नि.वि. व्दारा आवेदित पंचायती वन भूमि के संम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पंचायती वन भूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पंचायती वन भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पंचायती वन भूमि पर ग्रामवासियां के परम्परागंत अधिकारों हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसंमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत **जलई** के ग्रामवासियों को उक्त पंचायती वन भूमि उक्त परियोजना हेतु लो.नि.वि. को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

सरपंच वन पंचायत
ह० [signature]
दि० 21.11.14

प्रधान ग्राम पंचायत जलई
ह० गुमानी देवी
दि० 21-11-2014
वि० ख० अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग

प्रधान

ग्राम पंचायत

प्रपत्र - 30.4

54

परियोजना का नामः– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्ड़ारा मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 21-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - जलई

क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जगजीत सिंह बिष्ट (वृ० नागरिक)	जगजीतसिंह
2	श्री. विजयपाल सिंह बिष्ट ग्राम- सरपंच जलई	[signature]
3	श्री.. लक्ष्मणसिंह बिष्ट पूर्व सूबेदार मेजर	[signature]
4	श्री. सतपाल सिंह बिष्ट (वृ० नागरिक)	सतपाल सिंह
5	श्री.. सन्दीप सिंह बिष्ट अध्यक्ष. ने०यु० के० दल जलई	[signature]
6	श्रीमती - बसंती देवी अध्यक्ष महिला मंगल दल जलई	बसन्ती देवी
7	श्री.. महेन्द्र सिंह रावत वार्ड सदस्य जलई	महेन्द्र सिंह
8	श्री.. जयवीर सिंह बिष्ट पूर्व क्षेत्र. पंचायत सदस्य जलई	Jayvir Singh
9	श्रीमती. उमा देवी बिष्ट कोषाध्यक्ष - महिला मंगलदल जलई	उमा देवी
10	श्री. चन्द्र सिंह बिष्ट (वृ० नागरिक)	चन्द्र सिंह

सरपंच वन पंचायत
ह० [signature]
दि० 21.11.2014
जलई सुरसाल (रुद्रप्रयाग)

प्रधान ग्राम पंचायत जलई
ग्राम प्रधान
ह० सुभा देवी
दि० 21-11-2014
वि० ख० अगस्त्यमुनि

परियोजना का नामः– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

आमसभा का प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - कण्डारा ,

तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रूद्रप्रयाग,

उत्तराखण्ड में **जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा- किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।** हेतु पंचायती वन भूमि 2.06 है. अर्थात कुल 2.06 है. पंचायती वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष मे भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **कण्डारा** द्वारा दिनांक 23/12/14. को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लो.नि.वि. द्वारा आवेदित पंचायती वन भूमि के संम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह के वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पंचायती वन भूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पंचायती वन भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पंचायती वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत **कण्डारा** के ग्रामवासियों को उक्त पंचायती वन भूमि उक्त परियोजना हेतु लो.नि.वि. को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत कण्डारा
ह0 [signature]
प्रधान
दि0 23/12/14
ग्राम पंचायत
अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग

परियोजना का नामः– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्ड़ारा मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 23/11/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - कण्ड़ारा

क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	देव सिंह नेगी	[signature]
2	कुँवर सिंह नेगी	कुँवर सिंह
3	भूपाल सिंह नेगी	[signature]
4	सते सिंह नेगी	सत्ये सिंह
5	जगत सिंह	जगत सिंह
6	बलवीर सिंह बिष्ट	Balbir
7	रणवीर सिंह बिष्ट	रणवीर
8	शिव सिंह बिष्ट	[signature]
9	कुँवर सिंह बिष्ट	KUNWAR
10	मीरा देवी	मीरा देवी

प्रधान
ग्राम पंचायत

प्रधान ग्राम पंचायत कण्ड़ारा
ह० [signature]
दि० 23/11/14